

# झारखण्ड सरकार

## झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखाटोली, नामकुम-तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची- 834023

Official e-mail id - [iceceb@gmail.com](mailto:iceceb@gmail.com)

Phone No. - +91-651-2260297

### निविदा आमंत्रण सूचना

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची द्वारा प्रतिष्ठित एजेंसियों/फर्मों से केवल व्यावसायिक रूप से निबंधित ए0सी0 एवं नॉन ए0सी0 वाहनों के मासिक भाड़े के दर पर वाहनों को उपलब्ध कराने के निमित्त एजेंसियों/फर्मों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु दिनांक - 28.11.2022 के अपराह्न 03.00 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. वाहन का प्रकार निम्नवत होगा:- बोलेरो, टाटा सुमो, सियाज, डिजायर, टाटा जेस्ट, टोयोटा इटियोस।

2. निविदा तीन सिलबंद लिफाफे में देना होगा। पहले सिलबंद लिफाफे में तकनीकी निविदा (सारे कागजातों के साथ) दूसरे सिलबंद लिफाफे में अग्रधन राशि एवं निविदा शुल्क तथा तीसरे सिलबंद लिफाफे में वित्तीय निविदा देना अनिवार्य होगा। पहले लिफाफे पर भाड़े पर वाहन लिये जाने से संबंधित तकनीकी निविदा, दूसरे लिफाफे पर भाड़े पर वाहन लिये जाने से संबंधित अग्रधन राशि एवं निविदा शुल्क एवं तीसरे लिफाफे में भाड़े पर वाहन लिये जाने से संबंधित वित्तीय निविदा लिखना होगा।

तकनीकी निविदा (पहला लिफाफा)

- i. निविदादाता का फर्म/एजेन्सी GST निबंधित होना चाहिए। तत्संबंधी शपथपत्र, स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- ii. तकनीकी निविदा के साथ Trade अनुज्ञप्ति एवं GST No. की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- iii. तकनीकी निविदा के साथ निविदादाता को भाड़े पर वाहन देने संबंधी न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। सरकारी कार्यालय/प्रतिष्ठान में कार्यरत निविदादाताओं द्वारा तत्संबंधी प्रमाणपत्र देने पर प्राथमिकता दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
- iv. निविदादाता का वार्षिक टर्नओवर विगत वित्तीय वर्ष में ₹0 5,00,000/- (₹0 पाँच लाख) होना अनिवार्य है जिसका चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत Balance Sheet या आयकर विवरणी एवं पैन् संख्या की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- v. संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notary द्वारा) संलग्न करना होगा कि उनका संस्थान/फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है।
- vi. पर्षद को किराये में वाहन चार वर्ष से पुराना उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है।

vii. वाहन से संबंधित सारे पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि कागजात चालक के जिम्मे होना चाहिए। जो अद्यतन होना चाहिए। मासिक किराये में लिये गये वाहन की सभी दस्तावेज मालिक द्वारा स्वहस्ताक्षरित एक प्रति पर्षद कार्यालय में जमा करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है।

अग्रधन राशि एवं निविदा शुल्क (दूसरा लिफाफा)

i. (A) तकनीकी निविदा के साथ झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची के नाम से रू0 10,000/- (दस हजार) मात्र रूपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन राशि/सुरक्षित जमा राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(B) निविदा शुल्क रू0 1,000/- (रू0 एक हजार) मात्र, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची के नाम से देया होगा।

### वित्तीय निविदा (तीसरा लिफाफा)

वित्तीय निविदा में नीचे अंकित विवरण अनुसार वाहन वार मासिक किराया (चालक के पारिश्रमिक, ईजन ऑयल तथा ईंधन सहित जी0एस0टी0 रहित) अंकित करना आवश्यक है।

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	मॉडल नं0 (निविदादाता द्वारा भरा जाना है)	कार्य दिवसों की संख्या	मासिक किराया दर (ईंधन तथा अन्य खर्चों सहित) (बेस किलोमीटर-1500 किलोमीटर)		1500 किलोमीटर के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का दर	
				ए0सी0	नॉन ए0सी	ए0सी0	नॉन ए0सी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	बोलेरो		पूर्ण माह				
2.	टाटा सुमो						
3.	सियाज						
4.	डिजायर						
5.	टाटा जेस्ट						
6.	टोयोटा इटियोस						

i. उपरोक्त विवरण केवल वित्तीय निविदा के सीलबंद लिफाफे में ही दिया जायेगा।

ii. निविदादाता को वित्तीय बिड में राशि अंक में तथा शब्दों में अंकित करना होगा। यदि अंकित अंक तथा शब्द के बीच किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो शब्द के बीच किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो शब्द में अंकित राशि मान्य होगी।

### निविदा की सामान्य शर्तें :-

- i. झारखण्ड सरकार के परिवहन विभाग द्वारा केवल व्यवसायिक रूप से निबंधित वाहन ही किराये पर लिये जा सकेंगे। वाहन किराये में लेने हेतु वाहन के कंडीषन के अनुसार वाहन लिये जाने के लिये पर्षद स्वतंत्र होगा।
- ii. वाहन का निबंधन वर्ष चार वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना चाहिए। यदि चार (04) वर्ष से पुराना वाहन किराये में उपलब्ध कराया गया है तो उससे संबंधित विपत्र पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
- iii. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा Covid-19 के तहत निर्गत प्रोटोकॉल के अंतर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन आपूर्तिकर्ता द्वारा अक्षरशः किया जायेगा।
- iv. वाहन के मासिक विपत्र में नियमानुसार GST के रूप में देय राशि का उल्लेख करना होगा।
- v. ईंधन की आपूर्ति निविदादाता को करना होगा।
- vi. चालक का अद्यतन ड्राइविंग लाईसेंस होना चाहिए।
- vii. वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता को अविलंब उसी प्रकार के वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था एक घंटा के अंदर करनी होगी। यदि आपूर्तिकर्ता वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होगा तो पर्षद को अधिकार होगा कि वह किसी वह किसी अन्य सूचीबद्ध एजेंसी से तत्काल भाड़े पर वाहन लेकर तथा उसका पूरा व्यय आपूर्तिकर्ता को करना होगा।
- viii. वाहन उपयोग के दौरान वाहन चालक अथवा वाहन को किसी प्रकार की दुर्घटना से होने वाले क्षति का दायित्व पर्षद का नहीं होगा।
- ix. अनुबंध के समय आपूर्तिकर्ता को लिखित अंडरटेकिंग समर्पित करना होगा कि चालक का भुगतान उनके द्वारा अकाउन्ट के माध्यम से किया जायेगा जिसकी प्रति अनुवर्ती माह के विपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। चालकों को किये जाने वाले पारिश्रमिक का भुगतान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- x. सफल निविदादाता को एकरारनामा संपादित होने के एक सप्ताह के अंदर वाहनों की आपूर्ति करनी होगी। यदि निविदादाता वाहनों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होंगे तो उनका अनुबंध/एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा तथा उनकी अग्रधन राशि जप्त कर ली जायेगी।
- xi. वैसे निविदादाता जिनकी निविदा अस्वीकृत हो जाती है, को उनके द्वारा जमा अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी।

- xii. भाड़े पर दिये जाने वाले वाहन पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहिए। वाहन यांत्रिक रूप से सही होना चाहिए एवं सही तथा सुरक्षित दशा में होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र दें।
- xiii. आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक वाहन का प्रतिदिन के प्रविष्टियों का लॉग बुक संधारण करना होगा (यथा आरंभ कि०मी० रीडिंग, अंत कि०मी० रीडिंग, कुल तय की गयी दूरी, आरंभ समय तथा अंत समय इत्यादि)। वाहन के प्रत्येक परिचालन पर चालक एवं वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर अंकित होना चाहिए। जिसका सत्यापन पर्षद के वाहन प्रभारी से प्रतिदिन कराया जायेगा।
- xiv. वाहन में किसी प्रकार की मरम्मत एवं रख-रखाव आपूर्तिकर्ता को स्वयं करनी होगी।
- xv. वाहन से संबंधित सारे पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि कागजात चालक के जिम्मे होना चाहिए। जो अद्यतन होना चाहिए। मासिक किराये में लिये गये वाहन की सभी दस्तावेज मालिक द्वारा स्वहस्ताक्षरित एक प्रति पर्षद कार्यालय में जमा कराना होगा।
- xvi. यदि कोई चालक अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो आपूर्तिकर्ता को उसके स्थान पर अविलंब अन्य किसी चालक की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। यदि दूसरे चालक द्वारा रिपोर्ट करने में विलंब होता है तो प्रति घंटा रू० 100/- रूपये की दर से भुगतान में कटौती की जायेगी। यदि चालक द्वारा पूरे दिन में रिपोर्ट नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में पूरे दिन हेतु रू० 1000/- (एक हजार) मात्र की कटौती भुगतान में से की जायेगी।
- xvii. चालक का आचरण अपराध रहित होना चाहिए। पर्षद द्वारा आवश्यकता पड़ने पर चालक का पुलिस भेरिफिकेशन कराया जा सकता है। चालक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर चालक को पर्षद द्वारा निर्धारित यूनिफार्म में होना चाहिए। मासिक किराये वाले वाहन में चालक का चरित्र प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
- xviii. आपूर्तिकर्ता को चालक को कुछ नगद राशि सुलभ कराना होगा ताकि आकस्मिक परिस्थिति में वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने एवं ईंधन की कमी होने पर चालक द्वारा उसकी अविलंब मरम्मत करा ली जाय।
- xix. वाहन के सुरक्षित रखने की सारी जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
- xx. वाहन में हमेशा पर्याप्त मात्रा में ईंधन सुलभ रहना चाहिए।
- xxi. वाहन का उपयोग सामान्यतः कार्य दिवसों में किया जायेगा। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर वाहन का उपयोग किसी भी समय (अवकाश के तिथियों सहित) किया जा सकता है। अतः मासिक दर पर वाहन 30/x24 के आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे एवं दैनिक दर पर 24 घंटे के आधार पर कराये जायेंगे।

- xxii. वाहन अथवा वाहन चालक को बदलने से पूर्व वाहन (फर्म/एजेन्सी) आपूर्तिकर्ता को सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा बिना अनुमति के वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा चालक अथवा वाहन को नहीं बदला जायेगा।
- xxiii. वाहन परिचालन हेतु पर्षद कार्यालय में सुपूर्द किये जाने के पश्चात् वाहन पर्षद कार्यालय में या सम्बद्ध पदाधिकारी के पास में ही रहेगा।
- xxiv. वाहन के आगे तथा पीछे भाग में झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची का बोर्ड आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर लगाना होगा।
- xxv. प्रत्येक सप्ताह आपूर्तिकर्ता को वाहन में लगे तौलिया का धुलाई कराना होगा।
- xxvi. वाहन में साफ तौलिया, रेडियो, कार परफ्यूम, मोबाईल चार्जर उपलब्ध रहना चाहिए तथा मानसून समय में वाहन में छाता की सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए।
- xxvii. आपूर्तिकर्ता द्वारा भाड़े पर दिये गये वाहन झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची के निदेशानुसार लगाये जायेंगे तथा बिना अनुमति के आपूर्तिकर्ता द्वारा वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा।
- xxviii. चालक की सेवा संतोषप्रद नहीं रहने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को चालक को बदलना होगा।
- xxix. बिना कारण बताये निविदा को पर्षद द्वारा रद्द किये जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- xxx. पर्षद द्वारा निर्धारित मासिक किराया एवं प्रति दिन किराया के अलावे निविदादाता को अलग से किसी भी तरह की राशि देय नहीं होगी।
- xxxi. क्रय समिति द्वारा स्वीकृत यह निविदा न्यूनतम एक वर्ष अथवा पर्षद द्वारा अलगे आदेश तक मान्य रहेगा।
- xxxii. किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में पर्षद को विपत्र में से आवश्यक कटौती करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

### **भुगतान का प्रकार**

- i. आपूर्तिकर्ता को वाहनवार मासिक राशि भुगतान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पिछले माह का विपत्र (लॉग बुक के साथ) प्रस्तुत करना होगा।
- ii. सभी प्रकार का टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण विपत्र के साथ प्रस्तुत करने पर पर्षद कार्यालय द्वारा की जायेगी।

- iii. किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में पर्षद को अधिकार सुरक्षित होगा कि संबंधित वाहन का मासिक या आंशिक भुगतान अवरूद्ध रखे।
- iv. वाहनवार विपत्र से अनुमान्य आयकर/ GST आदि तथा सरकार को देय करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- v. मासिक किराये दर पर लिये गये वाहन का प्रतिमाह परिचालन 1500 किलोमीटर होगा। निर्धारित अधिसीमा से अधिक परिचालन की स्थिति में, आपूर्तिकर्ता को प्रति किलोमीटर का अलग दर वित्तीय बिड में समर्पित करना होगा।
- vi. प्रत्येक माह का वाहन परिचालन का बेस किलोमीटर 1500 किलोमीटर होगा। गणना त्रैमासिक होगी यथा यदि किसी माह में वाहन का परिचालन निर्धारित अधिसीमा से अधिक हुआ है एवं अगले दो माहों में वाहन का परिचालन कम हुआ है, तो अधिक परिचालन का समायोजन उसी क्वार्टर के अगले माहों में या अगले त्रैमासिकों में कर लिया जायेगा। प्रथम त्रैमासिक का तात्पर्य एकरारनामा संपादित उपरांत पहला तीन माह।

माह	बेस किलोमीटर प्रतिमाह	कुल किलोमीटर प्रति माह	अतिरिक्त/बचत किलोमीटर	देय राशि
1	2	3	4	5
1.	1500 किलोमीटर	1600 किलोमीटर	100 कि०मी० अतिरिक्त	1500 कि०मी० का दर
2.	1500 किलोमीटर	800 किलोमीटर	700 कि०मी० बचत	1500 कि०मी० का दर
3.	1500 किलोमीटर	1000 किलोमीटर	500 कि०मी० बचत	1500 कि०मी० का दर

उक्त क्वार्टर के प्रथम माह में वाहन का परिचालन 100 किलोमीटर अधिक हुआ है तथा शेष दो माहों में वाहन का परिचालन 1200 कि०मी० कम हुआ है। अतः कुल बचत 1100 किलोमीटर का समायोजन अगले त्रैमासिकों में वाहन के अधिक परिचालन की स्थिति में किया जायेगा।

#### कार्यक्रम :-

“निविदा” समर्पित करने की अंतिम तिथि— 28.11.2022 को अपराह्न 03.00 बजे तक है।

“तकनीकी बीड” खोलने की तिथि— 28.11.2022 को अपराह्न 04.00 बजे है।

“वित्तीय बीड” खोलने की तिथि— 29.11.2022 को अपराह्न 03.00 बजे है।

“निविदा” पर्षद कार्यालय में समर्पित करने का स्थान झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखाटोली, नामकुम—तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची— 834023

अंतिम तिथि के बाद समर्पित "निविदा" पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को "निविदा" को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा एवं किराये में वाहन लिये जाने के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर उसका क्षेत्राधिकार झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची होगा।